म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स जेल रोड, किसान भवन भोपाल

क./बोर्ड/यो./गै.त./भोज./45/48/18/4108 भोपाल, दिनांक 12/08/2016
प्रति,

अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ उपसंचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय–भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा. (म0प्र0)

विषय :– कृषकों को मण्डी प्रांगण में 5/–रूपये प्रति थाली भोजन व्यय की अनुदान राशि के मांग पत्रों के संबंध में।

00000

उपरोक्त विषयांतर्गत कृषकों को मण्डी प्रांगण में 5/–रूपये प्रति थाली भोजन व्यय की अनुदान राशि के मांग पत्र योजना अनुसार प्रत्येक माह प्रेषित किये जाना चाहिये। परन्तु वर्तमान में अधिकांश कृषि उपज मण्डी समितियों के 02–03 वर्ष पुराने मांग पत्र प्राप्त हो रहे हैं। उक्त प्रकरण पुराने होने के कारण बजट व्यवस्था एवं भुगतान की कार्यवाही में कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है। साथ ही दोहरे भुगतान की अंशका निर्मित होती है।

अतः अपने अधीनस्थ कृषि उपज मण्डी समितियों में संचालित कृषक भोजनालय की अनुदान राशि जिस वित्तीय वर्ष में व्यय किया गया है उसी वित्तीय वर्ष में मुख्यालय से अनुदान राशि का भुगतान प्राप्त करा लिया जावे अन्यथा अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि के मांग पत्र स्वीकार नहीं किये जावेगें, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

अपर संचालक(योजना)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल